

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक / / 2017 ई०।

संख्या: 12/विविध-04-16/2016 का० / विभागीय अधिसूचना संख्या-11485
दिनांक-17.11.2017 के द्वारा सी०बी०आई०, ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची-834008 के कार्यालय में प्रतिनियुक्त झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रवि भूषण अस्थाना, आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सी०बी०आई०, ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची-834008 के कार्यालय में योगदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से स्वतः विरमित किया जाता है।

संख्या: 12/विविध-04-16/2016 का० / विभागीय अधिसूचना संख्या-11486
दिनांक-17.11.2017 के द्वारा सी०बी०आई०, ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची-834008 के कार्यालय में प्रतिनियुक्त झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अजय कुमार सिंह, आप्त सचिव, राज्य पोषण मिशन(महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची) को सी०बी०आई०, ए०सी०बी०, 2 बूटी रोड, राँची-834008 के कार्यालय में योगदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से स्वतः विरमित किया जाता है।

2. सभी संबंधित पदाधिकारी अपने वेतन की निकासी प्रतिनियुक्ति स्थान पर उपस्थिति के आधार पर करेंगे। उक्त के संबंध में प्रधान सचिव का आदेश प्राप्त है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(संजय कुमार दूबे)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 12/विविध-04-16/2016 का० 11980/ राँची, दिनांक- 8 / 12 / 2017 ई०।
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


8/12/17
सरकार के अवर सचिव।